संख्या-130/493632/41-1-2024-सी0एन0-1781896-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ :: दिनांक** 12 **फरवरी,2024**

विषयः- जनपद चन्दौली के ग्राम कवई पहाडपुर स्थित अति प्राचीन श्री महावीर जी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7419/6-1-1(1492)/2023-24, दिनांक 02.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद चन्दौली के ग्राम कवई पहाड़पुर स्थित अति प्राचीन श्री महावीर जी मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन रू0 104.23 लाख को प्रेषित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-80-104-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मद में प्रावधानित धनराशि में से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित धनराशि रू0 रू0 104.23 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 83.00 लाख (रू0 तिरासी लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ से एक सप्ताह के अन्दर परियोजना के कार्यों को कराये जाने हेतु सहमति प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं